न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/3105/2000/बारां

1. मांगीलाल पुत्र रामगोपाल – मृतक – जरिये **(कायममुकाम)**
1/1. श्रीमती सीताबाई पत्नि मांगीलाल
1/2. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल
1/3. रमेश पुत्री मांगीलाल
1/4. सुल्तान पुत्री मांगीलाल
1/5. श्रीमती कान्ति पुत्री मांगीलाल जाति किराड निवासी कनोटिया तहसील अटरू जिला बारां
2. रंगलाल पुत्र रामगोपाल – मृतक – जरिये **(कायममुकाम)**
2/1. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री रामगोपाल
2/2. श्रीमती गोमती पुत्री रामगोपाल जाति किराड निवासी कनोटिया

.....................अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू।

...................रेस्पोडेंट्स

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री खडग सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री ओ0पी0भटट, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 20–06–2018

यह अपील राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (एतद् पश्चात 'अधिनियम 1973') के अंतर्गत जिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 14–6–2000 (प्रकरण संख्या 01/1994) के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कटावर में 195 बीघा 4 बिस्वा रामगोपाल व किशनलाल हिस्सा 1/2 व प्रभूलाल, डालूराम हिस्सा 1/2, ग्राम कनोटिया 327 बीघा 7 बिस्वा रामगोपाल,

किशनलाल हिस्सा 2/3, प्रभूलाल, डालूराम हिस 1/3, ग्राम मोजखेडी 82 बीघा 7 बिस्वा व हिस्सा रामगोपाल (पृथक से)। इस प्रकार दिनांक 1-4-1966 को रामगोपाल, किशनलाल, प्रभूलाल व डालूराम के जमाबंदी में वर्णित वर्गीकरण के आधार निम्नानुसार स्टेण्डर्ड एकड भूमि होती हैः-

ग्राम	भूमि बीघा	स्टेण्डर्ड एकड	नाम
1.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-57	रामगोपाल
2.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-58	किशनलाल
3.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-57	प्रभूलाल
4.	कटावर 48 बीघा 16 बिस्वा	14-58	डालूराम
5.	कनोटिया 109 बीघा 2 बिस्वा	19-82	रामगोपाल
6.	कनोटिया 109 बीघा 2 बिस्वा	19-82	किशनलाल
7.	कनोटिया 54 बीघा 11 बिस्वा	9-91	प्रभूलाल
8.	कनोटिया 54 बीघा 11 बिस्वा	9-91	डालूराम
9.	मोजूखेडी 82 बीघा 7 बिस्वा	15	रामगोपाल

इस प्रकार प्रत्येक के निम्नानुसार भूमि होती हः-

1. रामगोपाल 230 बीघा 5 बिस्वा 49-39 स्टेण्डर्ड एकड
2. किशनलाल 157 बीघा 18 बिस्वा 34-40 स्टेण्डर्ड एकड
3. प्रभूलाल 103 बीघा 7 बिस्वा 24-48 स्टेण्डर्ड एकड
4. डालूराम 103 बीघा 7 बिस्वा 24-49 स्टेण्डर्ड एकड

3. रामगोपाल के विरूद्ध नये सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उक्त कार्यवाही में निर्णय दिनांक 23-4-1976 के द्वारा 19-39 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को अधिग्रहण योग्य माना गया, जिसे उपजिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 31-10-1988 द्वारा यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील जिला कलक्टर बारां के समक्ष पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25-7-1994 द्वारा यथावत रखा। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे मण्डल की

पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 31-3-1998 द्वारा स्वीकार करते प्रकरण को जिला कलक्टर बारां को इस आशय के साथ के प्रतिप्रेषित किया कि अतिरिक्त साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए पक्षकारान को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर तीन माह में निर्णय पारित करें। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 14-6-2000 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर उपजिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 31-10-1988 यथावत रखा। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 14-6-2000 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व मण्डल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय को आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी के विपरीत होना बताया। उनका कहना है कि मण्डल के समक्ष पूर्व में द्वितीय अपील के विचारण के दौरान विभिन्न राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किए गए है, जिससे भूमि पुश्तैनी होना सिद्ध है। अतः पुराने अधिनियम के नियम 17 (4) व नये अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत प्रार्थी पृथक इकाई के हकदार होकर उसकी तीन ईकाई है, इस प्रकार मामले में अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं है। आगे बताया कि मण्डल ने पुश्तैनी भूमि में प्रार्थीगण जो कि बालिग थे को पृथक इकाई का लाभ नहीं देने तथा उनकी भूमि को भी रामगोपाल के साथ जोडने में अनियमितता की है, इस प्रकार दोहरा दण्ड नहीं दिया जा सकता है। आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही की है। उनका आगे कहना है कि नये सीलिंग अधिनियम के अनुसार रामगोपाल के प्राईमेरी यूनिट के अलावा मांगीलाल व रंगलाल दो पृथक यनिट है तथा वक्त कार्यवाही मांगीलाल व रंगलाल के परिवार के दो पृथक यूनिट है तथा उक्त कार्यवाही में मांगीलाल के परिवार में 6 तथा रंगलाल के परिवार में 7 सदस्य बताये गये है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा पेश सदस्यों की सूची व आयु को नहीं मानकर त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त मामले में अधीनस्थ

न्यायालय ने प्रकरण का पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत गलत तौर पर विचारण किया है। जबकि आराजी पैत्रृक है जिनके बाबत दस्तावेज संलग्न है। उनका तर्क है कि दिनांक 1-4-1966 को बालिग पुत्र मांगीलाल की आयु 43 वर्ष तथा रंगलाल की आयु 37 वर्ष बताई गई है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 17 (4) का लाभ नहीं देकर भारी भूल की है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में स्टेण्डर्ड एकड की गणना गलत की है। उनका यह भी तर्क है कि मामले में ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है जो कि आवश्यक था। अंत में उन्होंने अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 14-6-2000 तथा उपजिला कलक्टर बारां का आदेश दिनांक 31-10-1988 को निरस्त किया जाए तथा अपीलार्थीगण के धारण में कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होना घोषित किए जाने का निवेदन किया है।

6. इसके विपरीत विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत व विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उनका कहना है कि मामले में मण्डल द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। अतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है।

7. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि निर्धारिती रामगोपाल पुत्र नारायण किराड को प्राप्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो नारायण पुत्र उदा किराड कनोडिया की विरासत से उसे प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्टि खाता सम्वत 1989-1990, 1990-1991, तथा वर्ष 1934 से 1937 से होती है। नारायण की मृत्यु के बाद आराजी जरिये नामान्तरकरण संख्या 765 दिनांक

15–4–1941 व नामान्तरकरण संख्या 558 दिनांक 1–2–1941 से नारायण के पुत्र हरदेव, रामगोपाल व किशनलाल के खाते दर्ज हुई है। तीनों भाईयों के बंटवारे के बाद वर्ष 1958 की स्थिति व पुराने सीलिंग कानून के अनुसार रामगोपाल के खाते में 230 बीघा भूमि मानी जाकर सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की गई। रामगोपाल की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि भंवरीबाई व पुत्रगण मांगीलाल, रंगलाल व पुत्रियां पुष्पाबाई, गोमती बाई वारिसान हुए है। इनमें से मांगीलाल का देहान्त भी सीलिंग कार्यवाही के दौरान होने पर सीताबाई बेवा मांगीलाल व मोहनलाल, रमेश पुत्रगण सुल्तान कान्ति बाई पुत्रियां वारिस हुए है। इस प्रकार रेकार्ड से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पिता नारायण की मृत्यु होने पर विरासत से यह आराजी रामगोपाल को प्राप्त हुई है। इसके पश्चात रामगोपाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम आई, इसलिए विवादित आराजी पैतृक होना पूर्णतया सिद्ध है।

9. पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकारी का पृथक–पृथक शेयर के अनुसार मामले में सीलिंग सीमा का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है तथा स्टेण्डर्ड एकड जमाबंदी में दर्ज भूमि की किस्म के अनुसार बनाये जायेंगे। हमारे इस मत की पुष्टि 1992 आरआरडी 693 से होती है। अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी में प्रत्येक बालिग पुत्र का नोशनल शेयर माना जाकर उन्हें पृथक यूनिट माना जाएगा तथा उसी अनुसार सीलिंग एरिया का निर्धारण किया जायेगा। तहसील की जांच रिपोर्ट दिनांक 1–1–1973 के अनुसार रामगोपाल की उम्र 65 वर्ष, मांगीलाल की उम्र 51 साल व रंगलाल की उम्र 45 वर्ष बताई गई है। जबकि नामान्तरकरणों की रिपोर्टो के अनुसार रामगोपाल की उम्र 75, मांगीलाल की उम्र 55 तथा रंगलाल की उम्र 48 वर्ष अंकित है। नये सीलिंग कानून के अनुसार दिनांक 1–1–1973 की स्थिति का विवेचन धारा 4 (1) (2) तथा धारा 5–बी के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसके अनुसार रामगोपाल की प्राईमेरी यूनिट तथा मांगीलाल व रंगलाल की दो पृथक–पृथक यूनिट अर्थात कुल तीन यूनिट होती है तथा प्रत्येक 48–48 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण करने के अधिकारी है। दिनांक 1–1–1973 को मांगीलाल के परिवार में 9 सदस्य तथा रंगलाल के परिवार में 7 सदस्य

थे। इस प्रकार मांगीलाल 48 स्टेण्डर्ड एकड भूमि के साथ अपने चार सदस्यों के लिए तथा रंगलाल अपने दो सदस्यों के लिए प्रत्येक के लिए 5-5 एकड के हिसाब से अतिरिक्त भूमि धारित कर सकने का अधिकारी है। रेकार्ड से स्पष्ट है कि रंगलाल व मांगीलाल दोनों बालिग पुत्र पृथक-पृथक अपने परिवार सहित रहते है तथा रामगोपाल पर आश्रित नहीं थे। रामगोपाल व मांगीलाल तथा रंगलाल में न्यायालय की डिक्री से आराजी का विभाजन भी हो चुका है। इस प्रकार परिवार व आराजी की गणना करने पर सीलिंग अधिनियम 1973 के अनुसार आराजी सीलिंग सीमा से अप्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 14-6-2000 के अनुसार निर्धारिती के पास सीलिंग सीमा तक ही भूमि है तथा अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं मानी है। परन्तु पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि दिनांक 1-4-1966 के अनुसार जिला कलक्टर बारां ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 14-6-2000 पारित किया गया। उक्त निर्णय में किए गए अंकन अनुसार 49-39 स्टेण्डर्ड एकड मानकर परिवार की सदस्य संख्या 2 निर्धारित कर 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि छोडकर शेष 19-39 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहित किए जाने की आज्ञा पारित की है।

10. पुराना सीलिंग कानून की धारा 30 (बी) व 30 (सी) का सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः-

30-B, Definitions - For the purposes of the Chapter-

(a) "family" shall mean a family consisting of a husband and wife, their children and grand-children being dependent on them and the widowed mother or the husband so dependent, and
(b) "person" in the case of an individual, shall include the family of such individual.

30-C, Extent of Ceiling Area- The deiling area for a family consisting of five or less than five members shall be thirty standard acres of land:
Provided that, where the members of a family exceed five, the ceiling area in relation thereto shall be increased for each additional member by five standard acres, so however that it does not exceed sixty standard acres of land.

11. रेकार्ड में तहसीलदार अटरू द्वारा परगना अधिकारी बारां को अपने पत्र क्रमांक 1257 दिनांक 18-9-1979 द्वारा निर्धारिती रामगोपाल के परिवार की सूची प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार हैः-

दिनांक 1-4-1966	उम्र(वर्ष)	दिनांक 1-1-1973	उम्र(वर्ष)
मांगीलाल पुत्र रामगोपाल	38	मांगीलाल	44
सीताबाई पत्नि मांगीलाल	37	सीताबाई	43
रमेशबाई पुत्री मांगीलाल	54	रमेशबाई	60
सुलतानबाई पुत्री मांगीलाल	3	सुल्तानबाई	9
कान्तीबाई पुत्री मांगीलाल	1	कान्तीबाई	7
रंगलाल पुत्र रामगोपाल	36	रंगलाल	42
शांतिबाई पुत्री रंगलाल	34	शांतिबाई	40
उर्मिला पुत्री रंगलाल	5	उर्मिला	11
रामेश्वर पुत्र रंगलाल	3	रामेश्वर	9
रेखा पुत्री रंगलाल	1	रेखा	7
रामगोपाल	73	रामगोपाल	79
भंवरबाई पत्नि रामगोपाल	71	भंवरबाई	77
पुष्पाबाई पत्नि रामगोपाल	40	पुष्पाबाई	46

उक्त रिपोर्ट के अनुसार रामगोपाल के परिवार में 10 सदस्य थे। यदि 10 सदस्य भी माने जाते है तो 55 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने के अधिकारी है। कुल आराजी 49-39 स्टेण्डर्ड एकड बताई गई है जबकि निर्धारित तिथि 1-4-1966 की जमाबंदी में किस्म अंकन के परिप्रेक्ष्य में सही गणना अनुसार 49-39 स्टेण्डर्ड एकड ही होती है। दोनों स्थिति में कुछ भी माना जावे तो भी वह सीमा 60 स्टेण्डर्ड एकड से कम है, जो सीलिंग सीमा से कम है।

12. विधायिका की मंशा के अनुसार यदि रामगोपाल, मांगीलाल व रंगलाल को वयस्क सदस्य माने जाते है तो प्रत्येक 30-30 स्टेण्डर्ड एकड से कुल 90 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण करने के अधिकारी है। दूसरा बिन्दु यदि मांगीलाल व रंगलाल को रामगोपाल के ऊपर आश्रित मानते है तो परिवार की सदस्य संख्या 13 हो जाती है जिसमें से विवाहित पुत्री व पुत्र वधुओं को छोडते हुए सदस्य संख्या 10 होती है, जो सीलिंग अधिनियम की धारा 30-सी के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य की 5 स्टेण्डर्ड एकड की गणना करते हुए 5 सदस्य तक 30 स्टेण्डर्ड एकड व 5

सदस्य से ऊपर 10 सदस्य तक 5 गुना 5 बराबर 25 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अर्थात 55 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण करने के अधिकारी है।

13. पुराने सीलिंग अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत पृथक-पृथक यूनिट या धारा 30-सी के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर दोनों ही स्थिति में सीलिंग सीमा से ज्यादा भूमि निर्धारिती के पास नहीं है।

14. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-6-2000 एवं उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31-10-1988 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध संस्थित की गयी सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि सीलिंग कार्यवाही के दौरान यदि भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है तो अपीलार्थी के खाते में अमल दरामद किए जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य